

22.01.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित।
अप्रार्थीगण सं. 1, 2 को नोटिस जारी
होकर प्राप्त कोई उपस्थित नहीं। कंडा
कंडा कर तीन बार आवाज दिलवाई
गई। कोई उपस्थित नहीं होने से इनके

सहायक जज (उपखण्ड जज, जयपुर)
पं. नं. 10/2015



हुकम या कार्यवाही अथ इजिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामीम में
जारी हुए

विरुद्ध एम्पलीय कार्यवाही मामले में जारी
गई। प्रार्थी आधिकारिक दारा बहस में
प्रार्थना पत्र के बयानों व तथ्यों को
दौराने हुए आदेश दिनांक 25.06.2024
को मूल वाद के निस्तारण तक अमानत
रखने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का प्रती-गति
अवलोकन किया। बहस के तथ्यों का गी
अवलोकन करने पर पाया की विवादित
आराजी पुश्तानी होने से न प्रार्थी व
अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व मामलों की
बहुल्यता बढ़ने की संभावना के मध्यमजर
उत्तरण में विवादित आराजी मौजा मौखुपुरा

परवार हल्का सांचौर ज. न. 2747/3524
रकबा 2.33 हे. में से 0.16 हे. में राजान
रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति की अस्पाई
निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रती
होने से मूल वाद के निस्तारण तक
अस्पाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर के कदम

(9/11)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)